<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क-204/17</u> संस्थित दिनांक-28.06.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. जयराम पुत्र नंदराम परिहार उम्र 40 साल,
- 2. गुपलाबाई उर्फ बुगलाबाई पत्नी जयराम परिहार उम्र 35 साल,

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 16.01.2018 को घोषित)</u>

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि० की धारा 294, 325 अथवा 325/34, 324 अथवा 324/34 एवं 506बी के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19.06.2017 को समय 06:00 बजे से 06:10 बजे के बीच स्थान गोंड बाबा के चबूतरा, फरियादी के घर के सामने लोक स्थान पर फरियादी घनीराम परिहार को मां बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया कर फरियादी धनीराम को स्वेच्छया गंभीर उपहित एवं आक्रमक आयुद्ध लाठी से स्वेच्छया उपहित कारित की अथवा धनीराम को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित एवं ऐसे उपकरण लट्ट से जो कि यदि आक्रमक आयुद्ध के रूप में उपयोग में लाया जाये, तो उससे मृत्यु कारित होना सभाव्य है, से फरियादी धनीराम के सिर में स्वेछया उपहित कारित कर उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.06.2017 को सुबह करीबन 06:00 बजे फरियादी घनीराम परिहार घर ग्राम किर्राया पहुंचा, तो घनीराम परिहार घर के पास जयराम व उसकी पत्नी गुपलाबाई व उसकी भाभी गुड़डी बाई मिले, तो घनीराम परिहार ने कहा कि यहां क्या कर रहे तो तीनों घनीराम को मां बहनों की बुरी—बुरी गालियां देने लगे और जयराम ने घनीराम की पीठ में लाठियों मारी, तो घनीराम भागा, तो उसे सुरई तला रोड बाबा के पास रास्ता रोककर कर उसे जयराम ने सिर में लठ मारा चोट होकर खून निकल आया। मौके पर बहादुर सिंह ठाकुर व राजू ठाकुर थे, उन्होने घटना देखी व बीच बचाव किया। जयराम ने घनीराम को धमकी दी आज तो बच गया, अब मिलेगा जो जान से खत्म कर देंगे। घटना स्थल पर अजबसिंह, कपूरी बाई, रामकुंवर बाई आ गये। फरियादी घनीराम परिहार की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस

थाना चंदेरी के अपराध कमांक—248 / 17 अंतर्गत धारा— 341, 294, 323, 324, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.07.2017 को फरियादी घनीराम द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये, जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा 294, 325 अथवा 325/34 एवं 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 324 अथवा 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।
- 05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 19.06.2017 को समय 06बजे से 06:10 बजे के बीच स्थान गोडाबाबा के चबूतरा फरियादी के घर के सामने लट्ठ से जो कि यदि आक्रमक आयुद्ध के रूप में उपयोग में लाया जाता, तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य थी, से फरियादी धनीराम को सिर में स्वेच्छया उपहति कारित की ?

अथवा

क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी धनीराम को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लट्ठ से जो कि यदि आक्रमक आयुद्ध के रूप में उपयोग में लाया जाता तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य थी, से फरियादी धनीराम को सिर में स्वेच्छया उपहित कारित की?

2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::</u>—

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आइ साक्ष्य को देखते हुये मात्र फरियादी धनीराम (अ०सा0—1) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी धनीराम (अ०सा0—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया हैं। फरियादी धनीराम (अ०सा0—1) का यह तो कहना है कि उसका 6 माह पहले आरोपीगण से वाद विवाद एवं गाली—गलौच हो गया था, परन्तु फरियादी के अनुसार उपरोक्त ६ विवाद के अलावा आरोपीगण ने और कोई घटना उसके साथ कारित नहीं की अर्थात् फरियादी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण का उससे विवाद तो हुआ था, परन्तु आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की कोई घटना नहीं की।
- 07— धनीराम (अ0सा0—1) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन ने फरियादी को पक्ष विरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु उक्त परीक्षण से भी अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नही होता है, क्योंकि उक्त परीक्षण में भी धनीराम (अ0सा0—1) ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी अपने परीक्षण में यह तो स्वीकार करता है कि उसकी पसली में फ्रैक्चर हो गया था, परन्तु उसका कहना है कि उक्त चोट जब वह थाने पर मोटर साईकिल से रिपोर्ट करने जा रहा था, तो उसे गिरने से आई थी।
- 08— यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—01 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि फरियादी को पसली में चोट आई थी। पुलिस के द्वारा कराये गये चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी की पसली की चोट का परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही चिकित्सक के द्वारा ऐसी किसी चोट के लिये संलग्न चिकित्सीय प्रतिवेदन के अनुसार एक्स—रे की सलाह दी गईं, परन्तु फरियादी का एक्स—रे परीक्षण किया गया, जिसमें आठवीं पसली में अस्थि भंग होना पाया गया। अतः स्पष्ट है कि पसली की चोट का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं रैफरल फार्म न होना तथा बाद में फरियादी की पसली में अस्थि भंग पाया जाना फरियादी धनीराम (अ0सा0—1) के कथनों की पुष्टि करता है कि उक्त चोट उसे मोटरसाईकिल से गिरने से आई थी।
- 09— धनीराम (अ0सा0—1) का स्पष्ट कहना है कि घटना में केवल गाली—गलौच एवं वाद विवाद आरोपीगण ने किया था। इसके अलावा कोई घटना कारित नहीं की तथा फरियादी धनीराम (अ0सा0—1) इस संबंध में पुलिस को भी कोई रिपोर्ट एवं कथन न लेख कराना बताता है। अतः फरियादी धनीराम (अ0सा0—1) के द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन न करने के एवं घटना में केवल वाद विवाद एवं

गाली-गलौच होना बताने के कारण व स्वयं को आई चोट मोटर साईकिल से गिरने से आने से बताने से यह स्पष्ट होता है, कि स्वयं फरियादी के अनुसार आरोपीगण ने घटना में उसके साथ मारपीट कर कोई उपहित कारित नहीं की।

- 10— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक—19.06.2017 को समय 06:00 बजे से 06:10 बजे के बीच स्थान गोडाबाबा के चबूतरा फरियादी के घर के सामने लट्ठ से जो कि यदि आक्रमक आयुद्ध के रूप में उपयोग में लाया जाता, तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य थी, से फरियादी धनीराम को सिर में स्वेच्छया उपहित कारित की अथवा फरियादी धनीराम को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लटठ से जो कि यदि आक्रमक आयुद्ध के रूप में उपयोग में लाया जाता तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य थी, से फरियादी धनीराम को सिर में स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः साक्ष्य के अभाव में एवं फरियादी के पक्षिवेरोधी होने के कारण अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध प्रमाणित नही होते हैं।
- 11— फलतः अभियुक्तगण जयराम पुत्र नंदराम परिहार, गुपलाबाई उर्फ बुगलाबाई पत्नी जयराम परिहार, गुड्डी बाई पत्नी बालिकशन परिहार के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 324 अथवा 324/34 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण जयराम पुत्र नंदराम परिहार, गुपलाबाई उर्फ बुगलाबाई पत्नी जयराम परिहार, गुड्डी बाई पत्नी बालिकशन परिहार को भा०द०वि० की धारा 324 अथवा 324/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 12—अभियुक्तगण धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)